वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की वित्त समिति की बैठक कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक–28.02.2024 को विश्वविद्यालय अतिथि गृह में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्तः–

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1. प्रो0 वंदना सिंह — अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्री गोविन्द सिंह (प्रतिनिधि,अपर मुख्य सचिव,वित्त) — सदस्य
   अपर निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ)
   वाराणसी परिक्षेत्र,
   वाराणसी।
3. डा0 बृज किशोर त्रिपाठी (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा) — सदस्य
   क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0शासन,लखनऊ
   वाराणसी।
4. प्रो0जे0एन0मिश्रा, — सदस्य
   जे–6 सोनल अपार्टमेन्ट,
   जार्ज टाउन, इलाहाबाद–211002
5. श्री महेन्द्र कुमार — सदस्य
   कुलसचिव
6. श्री अजीत कुमार सिंह — सदस्य
   उप कुलसचिव/का0वा0परीक्षा नियंत्रक
7. संजय कुमार राय — सदस्य/सचिव
   वित्त अधिकारी

निर्धारित कार्य सूची के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

प्रस्ताव सं0–01

दिनांक–18.12.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की अनुपालन आख्या समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

समिति अनुपालन आख्या से संज्ञानित हुई।

प्रस्ताव सं0–02

दिनांक–18.12.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा दिनाक–18.12.2023 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं0–03

वित्तीय वर्ष 2022–23 का वास्तविक आय–व्ययक, 2023–24 का संशोधित आय–व्ययक एवं 2024–25 का अनुमानित आय–व्ययक (बजट) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय–

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वित्तीय वर्ष 2022–23 का वास्तविक आय–व्ययक, 2023–24 का संशोधित आय–व्ययक एवं 2024–25 का अनुमानित आय–व्ययक (बजट) के अनुमोदन की संस्तुति के साथ ही विभिन्न मदों में व्ययधिक्य होने पर पूर्व की भॉति पुनर्विनियोजन का अधिकार कुलपति को अधिकृत किये जाने के निर्णय को पुनः भविष्य हेतु अंगीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव सं0–04
विश्वविद्यालय के पुराना वाहन कमशः यू0पी0 62–एल–9442, (इनोवा) सं0–यू0पी0 62–एल–9451 (कोरोला) को शासनादेश सं0–दिनांक–11.06.2002, 1914/30–4–2002–38/90, दिनांक–05.08.2022 एवं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक–24.11.2022 के कम में निष्प्रयोज्य घोषित कर प्रतिस्थापन के आधार पर नया वाहन कय किये जाने पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पुराने वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कराने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए प्रतिस्थापन के आधार पर दो नया वाहन (इनोवा) कय करने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–05
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध संघटक महाविद्यालयों के लिए रु0 3.00 करोड़ (तीन करोड़) की स्थायी निधि बनाये जाने पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध दो संघटक महाविद्यालयों के लिए रु0 3.00 करोड़ (तीन करोड़) की स्थायी निधि बनाये जाने की संस्तुति की गयी। समिति द्वारा इस संबंध में उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, विश्वविद्यालय परिनियमावली तथा संगत शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किए जाने का अभिमत व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव सं0–06
विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पुस्तकालयध्यक्ष/समन्वयक,कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र/निदेशक,(रज्जू भईया संस्थान) को आकस्मिक एवं आवश्यक कार्यालय व्यय हेतु दिये गये स्थायी अग्रिम धनराशि के व्यय/समायोजन के संबंध में विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मत से संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पुस्तकालयध्यक्ष/समन्वयक,कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र/निदेशक, (रज्जू भईया) को आकस्मिक एवं आवश्यक कार्यालय व्यय हेतु माह में एक बार (वर्ष में 12 बार) ही स्थायी अग्रिम के व्यय/समायोजन किये जाने की सस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–07

स्नातक की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पादित करने वाले परीक्षकों को 150 किलोमीटर आने एवं 150 किलोमीटर जाने (300 किलोमीटर) का यात्रा भत्ता कार द्वारा दिये जाने पर विचार।

निर्णय
समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए शासनादेश सं0–3/2019/जी–2–41/दस–2019–601/2011, दिनांक–05.03.2019 में निहित व्यवस्था के कम में शिक्षक के वेतन मैट्रिक्स लेबल के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता भुगतान दिनांक–1.4.2024 से किये जाने की संस्तुति की गयी। इस संबंध में उक्त शासनादेश के बिन्दु सं0–4 की व्यवस्था मोटर कार/जीप/पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं/पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य

Scanned with OKEN Scanner

(2)

वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए लागू होगी। उक्त शासनादेश के बिन्दु सं0-1 की शर्तें आवश्यकतानुसार यथास्थान लागू रहेगी।

सड़क मील यात्रा

सरकारी सेवकों/शिक्षकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(बी) (2)में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी:-

(i) वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 एवं इससे उच्च मैट्रिक्स लेवल के सरकारी सेवक/शिक्षक:-

मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी0 तक की गयी सड़क यात्राओं के लिए:-

क्र0 सं0	यात्रा की दूरी	रूपये प्रति कि0मी0	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1.	प्रथम 500 किमी0 तक	10.00	7.50
2.	500 किमी0 से अधिक परन्तु 1200 किमी0 तक	7.00	5.50

(ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 एवं उच्च लेवल के अधिकारियों द्वारा मोटर कार/जीप के अतिरिक्त अन्य साधन से की गई यात्राओं तथा मैट्रिक्स लेवल-11 से निम्न लेवल के सरकारी सेवक/शिक्षक के लिए :-

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू0 5.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 1000/- से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू0 2.50 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 500/- से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(iii) अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर सरकारी सेवकों/शिक्षकों को रू0 10.00 प्रति किमी0 की दर से सड़क मील देय होगा।

(iv) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा वातानुकूलित बस द्वारा करने हेतु वे समस्त शासकीय सेवक/शिक्षक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक/शिक्षक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्राकरने हेतु अधिकृत होंगे।

(v) रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया सम्बन्धित **कर्मचारी/शिक्षक** के अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव सं0–08

(क) विद्या परिषद, शासी निकाय के बाहय सदस्यों को प्रति बैठक रू0 5,000/– मानदेय दिये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक–18.3.2023 के कार्यवृत्त में प्रस्ताव सं0–09 में कार्य परिषद, वित्त समिति, अध्ययन परिषद, अनुशासन समिति तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर शिक्षकों के चयन हेतु साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले बाह्य विषय विशेषज्ञों को रू0 5,000/– पारिश्रमिक/मानदेय दिये जाने की कार्योत्तर संस्तुति की गयी।

समिति द्वारा सर्व सम्मति से विद्या परिषद के बाहय सदस्यों को रू0 5,000/– मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) विश्वविद्यालय के वरिष्ठता निर्धारण, अनापत्ति, सम्बद्धता जैसी अन्य समिति के सदस्यों को प्रति बैठक रू0 2000/– मानदेय दिये जाने पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से वरिष्ठता निर्धारण समिति के बाह्य सदस्य को बैठक में प्रतिभाग करने पर रू0 2,000/– प्रति बैठक मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय को अनापति एवं सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में शासन द्वारा प्रतिनिधि नामित किये जाने, को दृष्टिगत रखते हुए बाह्य सदस्य को सर्व सम्मति से मानदेय न दिये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं0–09

कार्य परिषद की बैठक दिनांक–19.2.2024 के कार्यसूची–12 में परिसर में स्थित स्वास्थय केन्द्र पर इम्पैनल्ड होम्योपैथी चिकित्सक के वेतन/पारिश्रमिक वृद्धि के संबंध में दिनांक–20.12.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के प्रस्ताव सं0–09 के निर्णय पर विचार।

निर्णय

समिति द्वारा सर्व सम्मति से दिनांक–19.2.2024 को आयोजित कार्य परिषद की बैठक के कार्यवृत्त के कार्यसूची सं0–12 में लिये गये निर्णय से समिति संज्ञानित हुई तथा कार्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को अंगीकार किये जाने की संस्तुति की गयी

प्रस्ताव सं0–10

रोवर्स/रेजर्स शुल्क वृद्धि पर विचार।

निर्णय

समिति को अवगत कराया गया कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर का शुल्क से संबंधित प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को स्थगित रखे जाने की संस्तुति की गयी।

अंत में कुलसचिव के धन्यवाद देने के पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

(संजय कुमार राय) 11/3/24
वि0अधि0/सदस्य/सचिव

V.S. 12/03/24
(प्रो0 वन्दना सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner